

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर  
पीठासीन अधिकारी:- श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 89/2012  
दायर तिथि- 11.10.2012  
तारीख फैसला- 25.06.2018

वादी:- उमाशंकर मुन्दड़ा पुत्र हरिकिशनजी मुन्दड़ा, जाति माहेश्वरी,  
निवासी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज0)।

ब न अ म

प्रतिवादीगण:-

- 1-गणेशमल पुत्र नथाजी,
- 2-देवाराम पुत्र नथाजी,
- 3-श्रीमती कंकू पुत्री नथाजी,  
जातिगण कुम्हार, निवासीगण रामदेवजी गली, कुम्हारो का वास,  
सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
- 4-अशोककुमार पुत्र गोकुलचन्दजी, जाति अग्रवाल, निवासी 1401/5  
बी, बिस्परीग पामस लोखण्डवाला कोम्पलेक्स, आकुर्लीरोड़ कान्दिवली (पूर्व) मुम्बई  
(महाराष्ट्र)-400101

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट, 1955

-:निर्णय:-

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

- (1) वादी द्वारा चह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 625, 627, 628 रकबा व किस्म 0.15 हैक्टर बंजड़, 0.02 हैक्टर गै.मु.बेरा, 3.60 हैक्टर चाही सोयम, जाव सोयम आई हुई स्थित है।
- (2) उपरोक्त भूमि को वाद लम्बित होते हुए भी प्रतिवादी व सहखातेदारान ने आगे से आगे कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया है।
- (3) वादग्रस्त भूमि में आने जाने के रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया हैं तथा वाद केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का होने से वादी जो इफ्तदुआ न्यायालय से चाहता है वह प्राप्त नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया कि वादी अपने अधिकार रास्ते का एवं वाद लाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए इस वाद का नोट प्रेश कर रहा है। अतः वादी द्वारा वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद नोट प्रेश के खारिज फरमावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली